

न्यायालय जिला कलेक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत


बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट

श्री महेन्द्रसिंह गोयल पुत्र श्री सुन्दरसिंह
जाति गोयल निवासी नयावास नं. 2
वार्ड नं. 31 जिला सिरौही।
किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा
19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
कोषाधिकारी सिरौही


मुकदमा नं. 25 वर्ष 2021

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
10.03.2021	<p>अपीलांत ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के तहत रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध मांगी गई सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराने पर प्रस्तुत की। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर होकर दोनों पक्षों को सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक 19.03.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलेक्टर, सिरौही</p>	
19.03.2021	<p>पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांत बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित। रेस्पोजेन्ट कोषाधिकारी सिरौही उपस्थित। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरौही से पेंशन से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। रेस्पोजेन्ट कोषाधिकारी सिरौही द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलांत श्री महेन्द्र गोयल निवासी नयावास सिरौही लोगों के घर-घर जाकर प्रार्थना-पत्र लिखवाकर उनके हस्ताक्षर करा बिना उद्देश्य के बार-बार थर्ड पार्टी से आर.टी.आई. लगवाता है जिसकी पहचान उनकी हैन्डराइटिंग से होती है एवं थर्ड पार्टी स्वयं ने आकर यह स्वीकार कर लिखित में दिया है कि अपीलांत श्री महेन्द्र गोयल ने मुझे गुमराह कर अंगूठा लगवाया गया है। मेरे द्वारा कोई अपील एवं आर.टी.आई कहीं पर भी नहीं लगाई गई है। अपीलांत स्वयं भी सभी राजकीय कार्यालय में आर.टी.आई. लगाता है। आर.टी.आई. का निर्धारित समय में प्रत्युत्तर रजिस्टर्ड डाक से देने के उपरान्त भी श्री महेन्द्र गोयल द्वारा प्रथम अपील दायर की जाती है कि मुझे कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। प्रथम अपील के समय दोबारा सूचना दिए जाने के उपरान्त भी राज्य सूचना आयोग में अपील की जाती है। अतः श्री गोयल द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने की गलत जानकारी देकर आयोग व प्रथम अपील</p>	



अधिकारी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को भ्रमित किया जाता है। श्री गोयल अपील हेतु खुद कभी भी उपस्थित नहीं होता है सिर्फ अधिकारी ही उपस्थित होते हैं, जिससे राजकीय धन का अपव्यय होता है। अतः श्री महेन्द्र गोयल की बेबुनियादी अपील को खारिज कर जुर्माना लगाकर पाबन्द करवाने का श्रम करावें।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये हैं। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी सिरोही से पेंशन से सम्बन्धित सूचना चाही गई थी। अपीलांट को अपना पक्ष करने का समुचित अवसर दिया जा चुका है, परन्तु अपीलांट इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि रेस्पोंडेन्ट कोषाधिकारी सिरोही द्वारा अपीलांट को समुचित सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करा दी गई थी, फिर भी अपीलांट ने रेस्पोंडेन्ट को परेशान हैरान करने की नियत से अपील इस न्यायालय में पेश की है। रेस्पोंडेन्ट कोषाधिकारी सिरोही द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलांट श्री महेन्द्र गोयल आदतन शिकायती है एवं बार-बार किसी थर्ड पार्टी से हस्ताक्षर करवाकर बिना उद्देश्य के आर. टी.आई. पेश करता है, जबकि थर्ड पार्टी स्वयं अपील या आर.टी.आई. लगाने सम्बन्धित कथन को अस्वीकार करती है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से सही प्रतीत होता है। इससे यह पता चलता है कि अपीलांट श्री महेन्द्र गोयल हैरान परेशान करने की नियत से रेस्पोंडेन्ट को परेशान करता है, जिससे उनका व उनके अधिनस्थ कर्मचारियों का समय बर्बाद होता है। इस कारण उनके अन्य राजकीय कार्य भी बाधित होते हैं। अतः अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलांट श्री महेन्द्र गोयल को पाबन्द किया जाता है कि भविष्य में आप द्वारा किसी थर्ड पार्टी से हस्ताक्षर करवाकर एवं अनुचित आर. टी.आई. एवं अपील दायर नहीं की जाए। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।


(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही